झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग-2

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार दिनांक 18 फाल्गुन,1937(श0) / 08 मार्च 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2	3.	4.	5.	6.
136-	अ0सू0-32	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	शिक्षकों की बहाली।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.16
137-	अ0सू0-41	श्री योगेश्वर प्रसाद	किसानों को फसल मुआवजा।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	02.03.16
138-	अ0सू0-28	श्री प्रदीप यादव	उपायुक्त पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	18.02.16
139-	अ0सू0-26	श्री आलमगीर आलम	उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.02.16
140-	अ0सू0-35	श्री प्रदीप यादव	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन।	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य	25.02.16
141-	अ0सू0-40	श्री दशरथ गागराई	वारङ क्षिति लिपि में पढ़ाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	02.03.16
142-	अ0सू0-31	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	पोषाक खरीददारी में अनियमितता।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24.02.16

कृ0पृ0उ0-

143-	अ0सू0-33	श्री आलमगीर आलम	शिक्षकों का वेतन निर्धारण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 25.02.16
144-	अ0सू-39	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	रिक्त पदो पर प्रोन्नति	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 29.02.16
146-	अ0सू0-42	श्री राधाकृष्ण किशोर	पुरस्कार प्राप्त शिक्षको को सुविधा।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 02.03.16

रॉची,
दिनांक- 08 मार्च, 2016 (ई0)

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015.....2071...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 07/03/16

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मा0मुख्यमंत्री/मा0मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

7/3/2016

(संजय कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015.....2071...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 07/03/16

प्रति :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय, अपर सचिव (प्रश्न), संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

7/3/2016

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015.....2071...../वि0स0, रॉची, दिनांक- 07/03/16

प्रति :- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

7/3/2016

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

04/03/16

(136)

461
04-03-2016.

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–32

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 230 प्लस 2 स्कूलों में इतिहास, रसायन शास्त्र एवं भौतिकी विषय के 513 पद रिक्त होने की वजह से विद्यार्थियों की पढाई पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इतिहास, रसायन शास्त्र एवं भौतिकी विषय में शिक्षकों का पद रिक्त है। परन्तु प्रतिनियुक्ति अथवा +2 विद्यालय में माध्यमिक प्रशाखा के उपलब्ध शिक्षकों द्वारा इन विषयों का पठन–पाठन किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित विषयों के अलावे शेष विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति 2012 में की गई थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है। हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में नियुक्ति की गयी है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इतिहास, रसायन शास्त्र एवं भौतिकी विषयों के रिक्त पड़े 513 पदों पर शिक्षकों की बहाली कर पठन–पाठन सूचारू रूप से कराने एवं जिन पदाधिकारियों की लापरवाही से इन तीन महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इतिहास, रसायन शास्त्र एवं भौतिकी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–62/2016 461 / दिनांक 04-03-2016./

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

137

श्री योगेन्द प्रसाद, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–41 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत हाथियों द्वारा फसल बर्बाद किये जाने पर विभाग द्वारा 40 रुपये/डीसमिल मुआवजा दिया जाता है, जो बहुत कम है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–3877 दिनांक–25.08.2014 द्वारा फसल मुआवजा का दर 10000/– रू0 प्रति हे0, (अधिकतम रू0 25000/– राशि) निर्धारित किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि फसल मुआवजा इतना कम दिये जाने के कारण किसान कर्ज पर कर्ज में दबे रहे है;	इस प्रकार की कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों को फसल मुआवजा 500 रू0/डीसमिल देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–3877 दिनांक–25.08.2014 में परिवर्तन/संशोधन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–58/2016 1291 रा0प0, राँची, दिनांक– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1938 दिनांक–02.03.2016 के प्रसग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–28

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

माननीय मंत्री–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत पुखुरिया नॉर्थ ब्लॉक एवं सेन्ट्रल ब्लॉक कोल माईन्स में बरती गई अनियमितता की जांच प्रमण्डलीय आयुक्त, दुमका द्वारा जांच रिपोर्ट खान एवं भूतत्व विभाग को सौंपा गया है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जांच में तत्कालीन उपायुक्त पाकुड़ श्री सुनिल कुमार सिंह को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जांच में दोषी पाए तत्कालीन उपायुक्त, पाकुड़ पर अविलंब कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रमंडलीय आयुक्त, दुमका द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट की प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को विभागीय पत्रांक 1913 दिनांक 22.12.15 द्वारा भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा पाकुड़ के तत्कालीन उपायुक्त, डा0 सुनील कुमार सिंह को जाँच प्रतिवेदन में उनपर लगाए गए आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया था। डा0 सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 28.01.16 को कार्मिक विभाग में समर्पित करते हुए अपने उपर लगाए गए आरोप को आधारहीन बतलाया गया है। डा0 सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन उपायुक्त पाकुड़ से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1671 दिनांक 24.02.2016 द्वारा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग) को भेजकर समर्पित स्पष्टीकरण पर विभाग के मंतव्य की अपेक्षा की गई है। उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा डा0 सुनील कुमार सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरांत विभाग का मंतव्य कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेज दिया जाएगा और तद्नुसार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
(खान एवं भूतत्व प्रभाग)

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–27 / 16 314 /एम०, राँची दिनांक– 7.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–1215 दिनांक–18.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2016

(139)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-26

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में उर्दू शिक्षक के 4401 पद के विरूद्व इंटर प्रशिक्षित उर्दू टेट उत्तीर्ण 731 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई एवं शेष पद रिक्त है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में कक्षा 1 से 7 में इंटर प्रशिक्षित वेतनमान पर ही स्नातक (B. Ed) प्रशिक्षित टेट उत्तीर्ण अभिवर्थियों की नियुक्ति की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिसूचना दिनांक 01.04.2015 द्वारा कक्षा 1 से 8 के शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में प. बंगाल सरकार को ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के तर्ज पर कक्षा 1 से 5 में उर्दू शिक्षक के रिक्त 3670 पद पर स्नातक प्रशिक्षित टेट उत्तीर्ण अभियर्थियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी वर्ग 1 से 5 के लिए दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा कक्षा 6 से 8 के लिए दो वर्षीय प्रशिक्षण के अतिरिक्त एक वर्षीय प्रशिक्षण (बी.एड.) निर्धारित है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह निर्णय दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के नियुक्ति हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण है।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक.........425........./ राँची, दिनांक..........4/3/....2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1214, दिनांक 18.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

(140)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 35 का उत्तरः

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खेल नीति 2007 के तहत् राज्य सरकार द्वारा सभी नियुक्तियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण लागू किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अब तक मात्र चार लोगों को ही नियुक्ति मिल पायी है ;	अर्द्धस्वीकारात्मक। इस वित्तीय वर्ष में खिलाड़ियों के नियोजन के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु इसे कड़ाई से पालन कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सीधी नियुक्ति नियमावली में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। इस संशोधन के पश्चात् राज्य के खिलाड़ियों की लगभग सभी सेवाओं में व्यापक तौर पर सीधी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन,कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/ वि० –8 – 78/16/क. 204/ राँची, दिनांक 5.3.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1485 दिनांक 25.02.16 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.16

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन,कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (141)

श्री दशरथ गागराई, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-40

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि निदेशक झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् राँची के ज्ञापांक-1293 दिनांक 24.07.2008 के द्वारा हो भाषा-भाषी बहुल क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले विद्यालयों में वारङ क्षिति मे प्रारंभिक स्तर से हो भाषा की पढ़ाई करने का निदेश शिक्षा अधीक्षक-सह-कार्यक्रम पदाधिकारी, प0 सिंहभूम चाईबासा को निर्देश दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 उल्लेखित निर्देश के आलोक मे झारखण्ड शिक्षा परियोजना प0 सिंहभूम के ज्ञापांक-1360 दिनांक-12.02.2008 द्वारा वारङ क्षिति में 18 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन जिलाके सभी 15 प्रखण्ड मे किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षित शिक्षको द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में वारङ क्षिति में मुद्रित पाठ्य पुस्तिका की पढ़ाई भी प्रारम्भ किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि लापरवाही के चलते वारङ क्षिति से पढ़ाई रूक गया है;	वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षको के कमी के कारण पढ़ाई बाधित हुई है ।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भाँति वारङ क्षिति लिपि मे नियमित पढ़ाई हेतु पहल करेगी, यदि, हाँ तो कब तक, न्ही, तोनहीं तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान मे हो भाषा जानकार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पाँच जनजातीय भाषा मे वर्ग 1 एवं 2 के लिये किताब की छपाई प्रकियाधीन है ।

(हस्ताक्षर) 4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक....420..../ राँची, दिनांक....4/3/....2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1940, दिनांक 02.03.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/3/16

(142)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-31

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सरकारी स्कूल के वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पोषाक खरीददारी में गुणवत्ता की कमी एवं सभी विद्यालयों में सामान्य मानक के अनुरूप पोषाक खरीददारी का नहीं होना, बिचौलिए द्वारा कमीशनखोरी की वजह से बच्चों को उचित गुणवत्तायुक्त पोषाक नहीं मिल पाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में अंतरित किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित समस्या से बचने के लिए सरकार द्वारा बच्चों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने का निर्णय सितम्बर 2315 में लेने के बावजूद इस पर अमल नहीं होने से पूर्ण की भाँति ही अनियमितता बरती जा रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य योजना अन्तर्गत स्कूल किट की राशि बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बच्चों के खाते में पैसा देकर एवं पूर्व में पोषाक खरीददारी में बरते गए अनियमितता को अविलम्ब रोकने का कार्य करते हुए पूर्व की अनियमितता के लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये पोषाक की राशि को बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की योजना भारत सरकार में प्रस्तावित है।

(हस्ताक्षर) 4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ......421....../ राँची,   दिनांक ....4/3/...2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1450, दिनांक 24.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

(143)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-33

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि संविधान की धारा 29 एवं 30 के तहत् राज्य में संचालित अल्पसंख्यक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जाता है तथा उक्त शिक्षकों के प्रथम वेतन का निर्धारण निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से किये जाने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षकों की नियुक्ति के फलस्वरूप प्रथम वेतन निर्धारण के अनुमोदन हेतु 150 प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में लंबित है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रथम वेतन निर्धारण के अनुमोदन के लम्बित सभी प्रस्ताव को एक माह में पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चूँकि वेतन अनुमोदन की एक प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें सभी बिन्दुओं की समीक्षा करते हुये शीघ्र निष्पादन करने का प्रयास किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक........417........./ राँची, दिनांक.....................4/3/..2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1482, दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

(144)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–39 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों की कुल संख्या–154 है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में राज्य वन सेवा के कुल स्वीकृत पदों की संख्या–156 है, जिसमें से कुल 78 पदाधिकारी कार्यरत है।
(2) क्या यह बात सही है, कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी के 42 पदों के विरूद्ध कुल 31 पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रभार में है, जबकि शेष 11 पद रिक्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 34 वन प्रमण्डल पदाधिकारी स्तर के पद राज्य वन सेवा के लिए चिन्हित है। वर्त्तमान में 32 राज्य वन सेवा के पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी पद के प्रभार में है।
(3) क्या यह बात सही है, कि राज्य वन सेवा के पदाधिकारी 29 वर्षों से एक ही पद अर्थात सहायक वन संरक्षक के पद पर बिना प्रोन्नति के है जिससे झारखण्ड सदृश वनाच्छादित राज्य में पदाधिकारी की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों के लिए Bihar Forest Service Rules, 1953 लागू है। उक्त नियमावली में सहायक वन संरक्षक से प्रोन्नति हेतु कोई पद सोपान नहीं है। राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों को डी0एफ0ओ0 के शेष रिक्त पदों पर प्रोन्नत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 का उत्तर स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न –54/2016– 1295 व0प0, राँची, दि०– 04/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1862 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/16
(सुनील कुमार)

145

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री राधाकृष्ण किशोर, स0 वि0 स0 से प्राप्त दिनांक 08.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न – 42

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि देश के अन्य राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को दो वर्ष का सेवा विस्तार पुरस्कार प्राप्ति की तिथि से दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, देश भ्रमण की सुविधा आदि का लाभ दिया जाता है ।	वस्तुस्थिति है कि अविभाजित बिहार राज्य के समय यह सुविधा दी जाती थी। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 128, दिनांक 23.5.1996 के द्वारा यह सुविधा समाप्त कर दी गई है । अन्य राज्यों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार देश के अन्य राज्यों की तरह झारखण्ड प्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को खण्ड–1 में वर्णित सुविधा का लाभ देना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को किसी प्रकार की पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य सुविधा देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

4/3/16
(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 20 / रा0शि0पु0–02 / 2016 421 रॉची दिनांक 04-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक सं0 प्र0–1941 / वि0स0दि0 2.3.2016 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित ।

4/3/16
(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव